"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2005—ज्येष्ठ 13, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक एफ 1-7/2002/1/6(7).—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय जांच आयुक्त, पद के लिए उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल का वेतनमान रुपये 18400-500-22400 को पुनरीक्षित करते हुए वेतनमान रुपये 22850-500-24850 निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 786/वित्त/नियम/चार/2004. दिनांक 28-8-2004, द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2005

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2.—श्री अवध बिहारी, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 10-06-2005 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22, 23 मई 2005 एवं 11, 12 जून 2005 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बिहारी, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बिहारी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक एफ 1-7/2003/11/(6).—राज्य शासन द्वारा उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के मैदानी कार्यालयों के लिये पद संरचना (सेट-अप) निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	पदनाम	मान्य पद संख्या	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य महाप्रबंधक	04	12000-16500
2.	महाप्रबंधक	18	10000-15200
3.	प्रबंधक	65	8000-13500
4.	सहायक प्रबंधक	104	4500-7000
5.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	01	6500-10500
6.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	06	5500-9000
7.	सहायक ग्रेड-1/अधीक्षक	07	4500-7000
8.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	13	4500-7000
9.	लेखापाल	00	4000-6000
10.	सहायक वर्ग-2/लेखापाल	39	4000-6000
11.	कम्प्यूटर आपरेटर	17	3580-5000
12.	सहायक वर्ग-3/स्टेनो टायपिस्ट	63	3050-4590
13.	स्टेनो टायपिस्ट	00	3050-4590
14.	वाहन चालक (नैमित्तिक)	16	3050-4590
15.	भृत्य/चौकीदार	46	2550-3200
	योग	399	

2. उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.
(3) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे.
(4) दर्शाये गये सभी वेतनमान सही है. इस बात की पुष्टि कर ली गई है.
(5) आयोजनेत्तर मद के सभी पद स्थाई होंगे तथा आयोजना मद के सभी पद अस्थाई होंगे.

3. इन पदों पर व्यय मांग संख्या-11, शीर्ष 2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (200) अन्य ग्रामोद्योग, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 1464-जिला उद्योग केन्द्र (आयोजनेत्तर) के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग की यू. ओ. टीप क्रमांक 458/बजट-5/वित्त/चार/2005, दिनांक 11-03-2005 द्वारा प्रदान की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक /एफ -1-7/25-1/आजावि/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत कुल 85 विकास खण्डों के लिए कुल 425 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	रिमार्क
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	6500-10500	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
2.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
3.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
4.	भृत्य	2550-3200	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
5.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
		योग	425	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.

(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.
(5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
(6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जाकर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-41-मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5495-मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक /एफ -1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु तकनीकी पदों की वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत कुल 27 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	रिमार्क
1.	सहायक यंत्री	8000-13500	03	बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर हेतु 01-01 पद के मान से
2.	उप यंत्री	5500-9000	19	सरगुजा, बस्तर एवं रायपुर - 02-02 पद के मान से कोरिया, जशपुर, बिलासपुर - 01-01 पद के मान से रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, दंतेवाड़ा, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा एवं धमतरी.
3.	सहायक मानचित्रकार	4500-7000	03	बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर हेतु 01-01 पद के मान से
4.	अनुरेखक	3050-4590	02	बस्तर एवं सरगुजा हेतु 01-01 पद के मान से
		योग	27	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.
(5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
(6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जाकर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-33-मुख्य शीर्ष-2225- अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनु. जनजातियों का कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन-1483-जिला प्रशासन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक /एफ -1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत कुल 85 आदिवासी विकास खण्डों हेतु 935 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	रिमार्क
1.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	6500-10500	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
2.	मंडल संयोजक	4000-6000	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
3.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	170	02 पद प्रति विकास खण्ड
4.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	255	03 पद प्रति विकास खण्ड
5.	भृत्य	2550-3200	170	02 पद प्रति विकास खण्ड
6.	अंशकालीन स्वीपर	कलेक्टर दर पर	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
7.	डाटा एंट्री आपरेटर	3500-5200	85	01 पद प्रति विकास खण्ड
		योग	935	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:

(1). सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
(2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.
(5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
(6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जाकर क्षेत्रीय अमंले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-41-मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्राथमिक शिक्षा-001-निर्देशन और प्रशासन-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2721-प्रशासन का सुदृढ़ीकरण विकास खण्ड स्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक-152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ -1-18/04/25-1/आजाक.—राज्य शासन एतद्द्वारा बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, 1995 भाग-1 के सेक्शन-1 के सरल क्रमांक-1 के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति पश्चात् संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान-रायपुर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेले, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक एफ 5-13/दो/आठ-परि/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिये अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग को उनके शासकीय वाहन के अग्रभाग में लालबत्ती लगाने हेतु विनिर्दिष्ट करता है.

वाहन में अध्यक्ष स्वयं सफर न कर रहे हों तो लालबत्ती को ढंकना अनिवार्य है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2005

फा. क्र. 4406/डी.-1025/21-ब/छ. ग./05.—राज्य शासन, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 312/ दो-2-17/ 2001/ गोप्र./2005 दिनांक 13-05-2005 के अनुपालन में श्री शरद गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उनकी सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2005

क्रमांक 4210/डी-1021/21-ब/छ. ग./2005.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2607/डी-1050/21-ब/छ.ग./2004, दिनांक 27-4-2004 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19, सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ''फास्ट ट्रेक कोर्ट्स'' का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :—

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1
		कांकेर	1

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	3
		जांजगीर	1
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
3.	दुर्ग	दुर्ग	6
4.	रायगढ़	रायगढ़	2
5.	रायपुर	रायपुर	7
6.	राजनांदगांव	कवर्धा	1
7.	सरगुजा	अंबिकापुर	2
		सूरजपुर	3
		रामानुजगंज	2
		कुल	31

No. 4210/D-1021/21-B/C.G./2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 2607/D-1050/21-B/C.G./2004, Raipur, dated 27-4-2004 of this department, the State Government, on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh , hereby, constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :-

SCHEDULE

S. No.	Name of District	Name of Place	No. of Fast Track Courts
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bastar at Jagdalpur	Jagdalpur	1
		Kanker	1
2.	Bilaspur	Bilaspur	3
		Janjgir	1
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
3.	Durg	Durg	6
4.	Raigarh	Raigarh	2

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Raipur	Raipur	7
6.	Rajnandgaon	Kawardha	1
7.	Sarguja	Ambikapur	2
		Surajpur	3
		Ramanujganj	2
		Total	31

रायपुर, दिनांक 18 मई 2005

फा. क्र. 4473/डी-607/21-ब//फा. ट्रे. को./छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजीव बेरीवाल, अधिवक्ता, रायगढ़ जिला रायगढ़ को फास्ट ट्रेक कोर्ट,-रायगढ़ के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायगढ़ जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक1490/डी-325/21-ब/छ.ग.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा-3 की उप धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5222/डी-2026/21-ब/छ.ग., दिनांक 28-8-2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली, विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा :—

क्रमांक (1)	राजस्व जिले का नाम (2)
1.	रायपुर
2.	दुर्ग
3.	राजनांदगांव
4.	बिलासपुर
5.	अंबिकापुर (सरगुजा)
6.	बस्तर (जगदलपुर)

(1)	(2)
7.	कांकेर
8.	दंतेवाड़ा
9.	कवर्धा
10.	महासमुंद
11.	कोरबा
12.	कोरिया
13.	धमतरी
14.	जांजगीर
15.	रायगढ़
16.	जशपुर

No.1490/D-325/XXI-B/C.G.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this Department Notification No. 5222/D-325/XXI-B/C.G., dated 28-8-2004 the State Government hereby appoints Shri Arvind Kumar Shrivastava, Special Judge under Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Corruption Act), Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regards to the offences specific in column (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation:—

S. No.	Name of Revenue District
1.	Raipur
2.	Durg
3.	Rajnandgaon
4.	Bilaspur
5.	Ambikapur (Sarguja)
6.	Bastar (Jagdalpur)
7.	Kanker
8.	Dantewada
9.	Kawardha
10.	Mahasamund
11.	Korba
12.	Koria
13.	Dhamtari
14.	Janjgir
15.	Raigarh
16.	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2005

क्रमांक एफ 11-7/श्र.क.म./16/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोहर रेड्डी (सी-1), हिम्मत स्टाफ कालोनी, पो. कुम्हारी, जिला दुर्ग को श्रम कल्याण मण्डल का उपाध्यक्ष मनोनीत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2005

क्रमांक एफ 9-35/दो-गृह/05.—जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र द्वितीय (पुस्तकों सहित) "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्ष केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	उच्च स्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक एफ 1-2/31/स्था./ज.सं.वि./2004.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यपालन अभियंताओं (सिविल) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर, उनकी तदर्थ पदोन्नति के, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, वेतनमान

रुपये 12,000-375-16,500/- में नियमित किया जाता है :—

स. क्र. (1)	कार्यपालन अभियंताओं का नाम (2)	वरिष्ठता सूची क्रमांक (3)
1.	श्री एम. पी. चौरसिया	218
2.	श्री नलेन्द्र सिंह	276
3.	श्री के. जी. गुप्ता	277
4.	श्री पी. एन. होर	300
5.	श्री एच. एल. ताम्रकार	355
6.	श्री व्ही. बी. कुमार	338
7.	श्री जान विल्सन (वर्तमान में निधन हो चुका है)	580
8.	श्री जे. के. कुक्कल	585

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2005

क्रमांक 32/30/1/सं./2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्यकारों/कलाकारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि तथा दर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. (1)	नाम और पता (2)	प्रतिमाह (3)	अवधि (4)
1.	श्री पूनाराम निषाद, ग्राम रिंगनी, पो. भरदा, थाना भिलाई.	700/-	1 अप्रैल 2005 से आजीवन पेंशन देय होगा.
2.	श्री सुखउराम निषाद, ग्राम पो. कोड़िया, जिला-दुर्ग.	700/-	—तदैव—
3.	श्री न्याईक दास मानिकपुरी ग्राम मटेवा, पो. गब्दी (अर्जुन्दा) जिला-दुर्ग.	700/-	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री जगन्नाथ प्रसाद भट्ट सेक्टर-7, सड़क नं. 33 भिलाई.	700/-	1 अप्रैल 2005 से आजीवन पेंशन देय होगा.
5.	श्री भुलवाराम यादव, ग्राम रिंगनी, पो. नारधा, भिलाई-3. जिला दुर्ग.	700/-	—तदैव—
6.	श्रीमती इंदिरा बाई, बेवा स्व. श्री श्यामघन झारा ग्राम एकताल, वि. खं. पुसौद, तह. नेतनगर, जिला-रायगढ़.	700/-	नियमानुसार पेंशन देय होगा अर्थात् प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
7.	श्री जगदीशदास 'अजय तांती' मानिकपुरी पोटियाकला, आबादीपारा वार्ड क्र. 47, पोस्ट हनौदा, तहसील व जिला दुर्ग.	700/-	1 अप्रैल 2005 से आजीवन पेंशन देय होगा.
8.	श्रीमती कालिका बाई, बेवा स्व. गोरेलाल साहू सिंचाई रेस्ट हाउस के पीछे, नहर के पास जिला-जांजगीर-चांपा.	700/-	नियमानुसार पेंशन देय होगा. प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
9.	श्री विसम्भर यादव मरहा, वार्ड क्रमांक 49, ग्राम बहोरा, पो. आ. दुर्ग जिला-दुर्ग.	700/-	1 अप्रैल, 2005 से आजीवन पेंशन देय होगा.
10.	श्री शिव कुमार ''दीपक'' ग्राम पोटियाकला, पो. हनोदा, तह. जिला दुर्ग.	700/-	1 अप्रैल, 2005 से आजीवन पेंशन देय होगा.
11.	श्री विमल कुमार पाठक सेक्टर 1 भिलाई, छ. ग.	700/-	1 अप्रैल, 2005 से आजीवन पेंशन देय होगा.

उक्त आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26 मुख्य लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन 285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2005-06 के बजट से विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/36.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा	0.081	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बॅराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा.	बायीं तट नहर के अंतर्गत नहर निर्माण एवं बोल्डर पीचिंग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 मई 2005

क्रमांक 799/वा-1/अ वि अ/भू-अर्जन/2/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	पीटापारा	3.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2005

क्रमांक 794/वा-1/अ वि अ/भू-अर्जन/4/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	गोहरापदर	3.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मजगांव	1.91	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

रा. प्र. क्रं. 12/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बलौदी	3.39	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

रा. प्र. क्र. 13/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	नहना	3.90	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	किरना	1.90	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

रा. प्र. क्र. 18/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जोता	4.30	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2005

रा. प्र. क्र. 27/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भठली	11.30	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 7 मई 2005

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	4.788	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के एल.बी.सी. मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2005

प्र. क्र. 02/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	1.500	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के पीकप-वीयर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 7 मई 2005

प्र. क्र. 03/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सागरपाली प. ह. नं. 19	4.086	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के एल.बी.सी. मुख्य नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक/अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 08-अ/82, वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-निसदा, प. ह. नं. 148/44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
970	0.11
971	0.15
975	0.07
976	0.05
1183	0.03
1189	0.18
1193	0.03
1194	0.08
1265	0.13
1266	0.05
1267	0.03
योग 11	0.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजीव आगमेंटेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2 अ/82, 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भण्डोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.445 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
483/3	0.036
589/5	0.089
486	0.053
579/1	0.076
482	0.073
487	0.132
589/4	0.026
587/3	0.032
481	0.036
593/8	0.044
593/9	0.053
588	0.028
380	0.068
591	0.038
498	0.018
593/2	0.045
589/6	0.005
493/3	0.032
493/12	0.061
493/13	0.052
484/2	0.049
493/11	0.022
493/15	0.044
480/5	0.024

(1)	(2)
484/3	0.008
493/10	0.063
493/5	0.032
493/4, 494	0.016
483/2	0.021
483/1	0.045
584; 585	0.048
593/12	0.038
593/13	0.038
योग 33	1.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर सोनिया जलाशय की देवरबोड़ सब माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/6 अ/82, 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भण्डोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.967 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118	0.729
686	0.049
672/1	0.093
672/2	0.093
671	0.170
679	0.413
680	0.308
674	0.381
670	0.202
677	0.225
673	0.304
योग 11	2.967

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लोवर सोनिया जलाशय के स्पिल चैनल में डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/8 अ/82, 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-आमाखोहा उर्फ टाड़ापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.036
7	0.008
4/5	0.024
9/2	0.028

(1)	(2)
10/1	0.044
8	0.004
52	0.044
53	0.028
9/1	0.028
10/2	0.004
11	0.012
56/1	0.076
55	0.012
50/2	0.004
51/1	0.024
51/2, 60	0.008
योग 16	0.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लोवर सोंनिया जलाशय के टाड़ापारा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/13 अ/82, 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3768/1 क	0.020
3769	0.029
3770	0.065
3771/1	0.085
3772/2	0.036
योग 5	0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लोवर सोंनिया जलाशय के अंतर्गत लुकापारा माइनर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2005

क्रमांक 800/वा-1/भू-अर्जन/04/अ/82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-राजिम
- (ग) नगर/ग्राम-गदहीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
416/3	0.032
416/4	0.117
417/4	0.040
417/5	0.040
419/1	0.065
419/2	0.049

(1)	(2)
421/6	0.113
योग	0.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फिंगेश्वर उदुवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2005

क्रमांक 315/क/भू-अर्जन/2-अ-82/वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारी केशली, प. ह. नं. 46/25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
218/7	0.045
218/11	0.012
250/3	0.263
250/7	0.012
394	0.117
395	0.049
406/2	0.016
474	0.231
477	0.049
478	0.069
494/1	0.069
494/2	0.073
481/1	0.109
484	0.004
476	0.894
495	0.085
496	0.073
500/2	0.024
497	0.049
498/2	0.024
योग 20	2.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टीथीडीह जलाशय डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2005

क्रमांक 316/क/भू-अर्जन/3-अ-82/वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-लोहारी, प. ह. नं. 47/26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.774 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
303	0.049
101/2	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
109	0.062	427/2	0.189
101/1	0.041	418	0.628
107	0.121	436/2	0.086
108	0.041	440	0.324
116	0.030	445	0.324
119	0.021		
117	0.021	योग 23	2.774
131	0.061		
130	0.021		
133	0.069		
134	0.069		
135	0.069		
136	0.105		
272	0.089		
264	0.030		
427/1	0.263		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टीथीडीह जलाशय डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक एफ 7-15/राजस्व/2005.—सक्षम प्राधिकारी जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 720/भू.अ./अ.वि.अ./2005 दिनांक 21-3-2005 के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले के तहसील जांजगीर के 07 ग्रामों (डोंगरी, कोरबी, हरदीबिशाल, बलौदा, सुल्ताननार, भेलाई एवं चारपारा) के 271 भू-धारकों की कुल 110.35 एकड़ (संलग्न अनुसूची अनुसार) निजी भूमि में भूमिगत पाइपलाईन डालने हेतु दिनांक 31-5-2006 तक भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने संबंधी छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 की धारा 4 उपधारा 1 एवं 2 के तहत अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के फलस्वरूप अनुसूची में दर्शित निजी भूमि के उपयोग के अधिकार समस्त प्रभारों से मुक्त राज्य शासन में निहित है.

2. छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 2004 के नियम 10 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में दर्शित निजी भूमि के उपयोग के राज्य शासन में निहित अधिकार एतदद्वारा हंसदेवबांगो नहर से एन. टी. पी. सी. परियोजना सीपत को जल आपूर्ति हेतु भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार एन. टी. पी. सी. परियोजना सीपत जिला बिलासपुर में निहित की जाती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	डोंगरी/22	339, 398	1.00
			364/1	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	डोंगरी/22	364/2	0.02
			365/1	0.12
			366/1	0.90
			368	0.15
			369	0.53
			370, 371	0.05
			390/3, 390/4, 390/8	0.70
			390/5	0.08
			390/9	0.08
			391/1	0.05
			391/2	0.04
			391/3	0.03
			391/4	0.20
			391/6	0.12
			392	0.03
			393/1	0.30
			394	0.16
			395	0.16
			396/1, 396/8, 397	0.80
			396/2	0.08
			396/3	0.03
			396/4	0.03
			396/5	0.20
			418/1	0.24
			418/2	0.40
			419/1	0.12
			419/4	0.03
			419/5	0.05
			419/6	0.80
			420/1-3	0.20
			420/2	0.14
			421/1	0.11
			421/2	0.50
			422/1	0.21
			422/2	0.20
			423/1	0.06
			424/1	0.16
			436/1	1.00
			436/2	0.14
			444/3	0.18
			444/4	0.25
			444/9	0.02
			444/10	0.36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	डोंगरी/22	445/1	0.01
			446/1	0.45
			446/2	0.62
			456	0.48
			457	0.10
			458/1	0.12
			458/2	0.60
			459	0.05
			460	0.18
			461	0.30
			463	0.15
			464	0.47
			469/6	0.22
			482/1	0.05
			483	0.20
			484	0.71
			485	0.30
		कुल योग	62	16.14 एकड़

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	कोरबी/22	772/2	0.07
			775	0.27
			778	0.33
			285	0.14
			772/2 क	0.36
			772/2 घ, 772/2 ड़	0.48
			286/10	0.15
			286/8	0.01
			286/1	0.79
			705/8, 705/9, 709/1	0.14
			698/8, 666/1, 683/2 ग	0.90
			705/7	0.07
			776	0.02
			804	0.35
			665	0.06
			772/2 ख/1	0.60
			705/3, 781/2	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	कोरबी/22	705/2	0.16
			781/1, 777/1	0.33
			286/2	0.44
			779	0.32
			286/3	0.66
			658/10, 669	0.25
			286/4	0.07
			258/11, 664	0.30
			658/2	0.24
			286/5	0.25
			286/6	0.18
			286/7	0.10
			658/14	0.19
			667, 668	0.20
			681	0.03
			684, 685	0.53
			705/1	0.30
			705/4	0.32
			705/6	1.66
			772/3 ख, 780, 782	0.52
			658/21, 666/2	0.08
			671, 672, 676, 677	0.84
			678/2	0.02
			682/2	0.15
			682/3	0.22
			786/1, 786/2, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 790, 791/1, 792/2	0.41
			682/1	0.02
			675	0.44
			682/4, 796	0.11
		कुल योग	47	14.19 एकड़

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	हरदीविशाल/23	590, 591	0.15
			592	0.24
			593/1, 593/2	0.12
			595/1	0.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर	जांजगीर	हरदीविशाल/23	595/2	0.44
			596/1	0.32
			596/2, 597, 698/12	0.50
			598	0.30
			684/1, 685/1	0.60
			599/1, 698/10	0.20
		कुल योग	10	3.11 एकड़

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	वलौदा /21	151, 152, 153, 154	0.45
			155/2	0.30
			164, 165	0.25
			166, 219	0.46
			167	0.20
			168	0.12
			169	0.38
			170	0.05
			171	0.05
			220, 221, 222	0.82
			223	0.70
			224	0.32
			225	0.24
			226, 306	0.25
			227, 305	0.34
			228	0.02
			229/2	0.15
			281	0.05
			283	0.02
			284	0.33
			285	0.22
			286	0.15
			291, 292, 293, 294	0.10
			295, 296	0.46
			298	0.10
			302/2, 304/2	0.22
			307	0.10
			308	0.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	बलौदा /21	310	0.35
			312, 313, 314	0.05
			330/1	0.18
			330/2, 331, 880	0.40
			885/3	0.32
			886	0.35
			887	0.05
			888	0.06
			889, 912/1, 4185	0.41
			890/1	0.25
			890/2	0.15
			891	0.60
			892	0.15
			909/1	0.09
			909/2, 4203/4	0.21
			910	0.88
			911	0.23
			912/2	0.11
			912/10	0.20
			912/11	0.33
			923/2	0.35
			933/1	0.10
			935	0.30
			936/1	0.18
			936/2	0.20
			938/1	0.60
			938/2	0.35
			940/1	0.03
			940/2, 941, 942	0.40
			943, 944	0.24
			949/1, 1006	0.20
			1000	0.10
			1003	0.30
			1004/2	0.40
			1005/1	0.32
			1379/1	0.20
			1380/2	0.50
			1380/4	0.21
			1380/5	0.20
			1380/6, 1380/7	0.92
			1632	0.02
			1633/1, 1633/2	0.32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	बलौदा /21	1634/1	0.18
			1698/2	1.21
			1698/3	0.30
			1700/1	0.10
			1701	0.35
			1735, 1738/2, 1738/5	0.80
			1736	0.32
			1738/1	0.10
			1738/3	0.26
			1739	0.22
			1740/1	0.20
			1740/2	0.20
			1742, 1744, 1800, 1801/1	0.40
			1743	0.10
			1745/1	0.40
			1745/2	0.02
			1746	0.03
			1747	0.15
			1748	0.12
			1749	0.07
			1750	0.02
			1751	0.02
			1755/1	0.02
			1756/2	0.28
			1757	0.10
			1761/1	0.82
			1761/2	0.40
			2402	0.25
			2407	0.30
			2408/2	0.15
			2412/1	0.20
			2412/2	0.22
			2412/4	0.25
			2414/1	0.29
			2414/2	0.29
			2415/1	0.02
			2415/2	0.02
			2416/1	0.12
			2416/2	0.45
			2464/1	0.11
			2464/2	0.10
			2465, 2466/1	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	बलौदा /21	2466/2, 2466/3	0.20
			2467	0.15
			2468	0.10
			2469/1	0.02
			2469/2	0.35
			2470	0.16
			2471/1, 2471/2	0.20
			2471/3	0.22
			2471/4	0.30
			2472	0.28
			2473/1	0.25
			2473/3	0.15
			2473/4	0.42
			2473/5	0.10
			2473/7	0.40
			2474/1	0.10
			2474/2	0.38
			2474/3	0.15
			2480/3	0.10
			2481	0.15
			2482/1	0.10
			2482/3	0.15
			2482/4	0.05
			2483/1	0.07
			2483/2	0.60
			2484/1	0.10
			4101, 310	0.55
		कुल योग	143	36.91 एकड़

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	सुल्ताननार/20	65/2	0.20
			68/1	0.63
			68/2	0.57
			69/1	0.22
			70/1	0.16
			70/2	0.07
			70/3	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	सुल्तानगार/20	71/1	0.08
			71/2	0.10
			71/3	0.09
			71/4 क	0.20
			71/4 ख	0.06
			71/4 ग	0.03
			72	0.72
			73	0.08
			74/3	0.05
			76/2 क	0.30
			76/2 ग	0.20
			76/3	0.70
			81/2	0.03
			82, 83	0.09
			97	0.30
			98/1	0.29
			99	0.04
			100/1	1.39
			100/5	0.10
			109/1	0.62
			109/2	0.60
			109/3	0.08
			109/4	0.02
			109/5, 109/6	0.20
			109/7, 109/8	0.07
			109/9	0.05
			111/2	0.08
			112/2	0.32
			113	0.13
			114, 115/1, 115/2, 116	0.60
			124	0.02
			150, 151, 152, 153/1	0.88
			312/1	0.18
			304/2, 305/1	0.70
			307, 310	0.03
			309	0.05
			311	0.05
			351/1	1.00
			375/4	0.20
			375/8	0.25
			375/11	0.04
			375/12	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	सुल्ताननार/20	375/13	0.17
			376/1 क	1.60
			376/2	0.05
			376/5	0.08
			377	0.42
			378	0.39
			379	0.40
			380	0.02
			382	0.19
			445	0.05
			446/1	0.04
			446/2	0.07
			448/4	0.10
			456/1	0.20
			456/6	0.50
			463/1-3-6	0.05
			463/2-4-5, 465/2, 465/5, 467/1	0.25
			464, 465/6	0.80
		कुल योग	68	18.47 एकड़

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	भेलाई /22	422, 429, 863	1.40
			428, 432/3	0.08
			430	0.33
			431	0.02
			496/2	0.10
			496/3	0.09
			496/4	0.79
			496/5	0.02
			509	0.15
			510/1	0.15
			510/2	0.15
			511/1, 853, 854	0.28
			511/2	0.20
			527, 540/1	0.36
			540/2, 805/1	036
			627/1	0.01
			628	0.58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	भिलाई /22	629	0.37
			635/1	0.14
			635/2	0.30
			635/3	0.06
			636/2	0.06
			637/3	0.50
			638	0.26
			639	0.04
			662	0.02
			664/1	0.06
			664/2	0.05
			665	0.19
			666	0.35
			667	0.14
			669	0.28
			673	0.02
			674	0.15
			675/2	0.04
			677	0.02
			678/1	0.24
			678/2, 706/1	0.01
			679/1	0.24
			679/2	0.08
			679/3	0.12
			679/4	0.10
			681	0.37
			682/1, 682/5	0.35
			683	0.26
			684/2	0.09
			685	0.20
			686/1	0.08
			687/1	0.20
			687/2	0.10
			687/3	0.30
			687/4	0.10
			716/5	0.25
			717/1	0.11
			717/3	0.16
			717/6	0.11
			805/2	0.10
			836/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	भेलाई /22	847	0.08
			848	0.16
			849	0.49
			855/1	0.10
			845/2	0.20
		कुल योग	62	12.74 एकड़

जिला	तहसील	ग्राम/प: ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चॉपा	जांजगीर	चारपारा /20	2/1 ङ	0.46
			2/1 ञ	0.10
			2/1 झ	0.82
			71/7	0.32
			2/4 ग	0.50
			2/4 ध	0.08
			70/3	0.12
			2/4 ख, 99/5	0.08
			70/6	0.50
			70/4	0.40
			2/1 त्र	0.32
			2/1 ज	0.10
			72/3	0.15
			3/3, 9/3, 10/3	1.20
			2/3, 70/2	0.44
			70/3	0.12
			71/3	0.42
			2/ 1 ज्ञ	0.47
			3/2, 9/2, 10/2	0.22
			3/1, 9/1, 10/1	0.31
			2/1 ह	0.15
			2/2 ग, 70/2 ग	0.05
			70/5 घ	0.35
			2/1 न	0.32
			2/4 क	0.14
		कुल योग	25	8.79 एकड़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ओमेगा टोप्पो, संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, (खनिज शाखा) रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2004

क्रमांक क/ख. लि./खुघो/2004.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प. ह. नं. (2)	तहसील (3)	ख. नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/1 का भाग	0.46 एकड़ शासकीय भूमि	श्री कृष्ण कुमार वैष्णव को दिनांक 15-11-98 से 14-11-2003 तक स्वीकृत है. दिनांक 3 जून 2003 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/1 का भाग	2.24 एकड़ शासकीय भूमि	श्री श्याम लाल केंवट को दिनांक 29-3-2001 से 28-3-2006 तक स्वीकृत थी, दिनांक 6 फरवरी 2004 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/1 का भाग	0.50 एकड़ शासकीय भूमि	श्री विजय कुमार शर्मा को दिनांक 29-3-2001 से 28-3-2006 तक स्वीकृत थी. दिनांक 17 सितंबर 2004 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
टुण्डरा	19	कसडोल	3188/1 का भाग	3.00 एकड़ शासकीय भूमि	श्री रामशंकर साहू को दिनांक 3-4-2000 से 2-4-2005 तक स्वीकृत थी. दिनांक 18 सितंबर 2003 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
कुम्हारी	159/18	कसडोल	1730/1 का भाग	3.00 एकड़ शासकीय भूमि	श्री राजकुमार को दिनांक 15-11-98 से 14-11-2003 तक स्वीकृत थी. दिनांक लीज अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर रायपुर.